

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश ।

परिपत्र सं०-डीजी-२३/२०१३

१-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: मई २५, २०१३

सेवा में,

१. समस्त पुलिस महानिदेशक, जोन्स/रेलवे, उत्तर प्रदेश ।
२. समस्त पुलिस उपमहानिदेशक, परिषेत्र/रेलवे, उत्तर प्रदेश ।
३. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे, उ०प्र०

इस वर्ष गर्भी के मौसम में खासकर माह भई में अत्यधिक तापमान बढ़ जाने से असहनीय गर्भी पड़ रही है। ऐसे मौसम में यदि आवश्यक बचाव/उपाय न करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के लू अथवा आदि से कुछ ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिनमें पुलिस के द्वारा अपनी नियमित कार्यवाही के दौरान जनता समय अथवा थाने पर पहुंचने के बाद तापाधात से ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यह प्रत्येक पुलिस हो जाए और यदि ऐसा होता है तो इसके लिए वह उत्तरदायी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-२१ के अन्तर्गत भी भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्रदत्त है और इस प्रकार उक्त अनुच्छेद के प्राविधान के अनुसार पुलिस अभिरक्षा अथवा पूछताछ के दौरान किसी भी विचाराधीन अभियुक्त, आरोपी या व्यक्ति को भी उतना ही जीवन का अधिकार प्राप्त है जितना कि अभिरक्षा में ले जाने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को है। आप सभी अवगत हैं कि ऐसी मृत्यु जो पुलिस के साथ यात्रा के दौरान अथवा थाना परिसर में होती है उसे पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु माना जाता है। ऐसी घटनाओं को साथ ऐसे प्रकरणों को लेकर जनपद में कानून-व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना होती है।

२. यह आवश्यक है कि इस गर्भी के मौसम के दौरान शिरफ्तार किए जा रहे अभियुक्तों अथवा कर्मियों द्वारा तापाधात से आवश्यक बचाव के उपाय किए जाएं। पुलिस कर्मियों द्वारा इस मौसम में स्वयं के बचाव हेतु जो उपाय किये जा रहे हैं वही उपाय अभियुक्तों तथा पूछताछ हेतु बुलाये जा रहे व्यक्तियों के लिए भी किये जायें। इस सम्बन्ध में चिकित्सकों की राय के अनुसार लक्षण, बचाव एवं उपचार के तरीके इस परिपत्र के साथ संलग्न कर देखित हैं।
३. आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधीनस्थों को अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित कराएं कि तापाधात से स्वयं अथवा जनता के किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो, इस उद्देश्य से उचित सार्वधानी बरती जाए ताकि भविष्य में तापाधात से पुलिस अभिरक्षा में ऐसी घटनाएं कदाचित् घटित न हों।
४. अतः युझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस और सजग व जागरूक होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटित हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(देवराज नारायण) - ५ - १३

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

Heat Stroke (तापमान/बुलगना)

५

शरीर के तापमान के अत्यधिक बढ़ जाने को हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) कहते हैं। ऐसे रोगियों का इलाज त्वरित गति से करना चाहिये।

बहुत छोटे बच्चे, ज्यादा उम्र के लोग, फेफड़े अथवा गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग तथा तेज धूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को हीट स्ट्रोक होने की अधिक संभावना रहती है।

लक्षण

भिचती लगना, उल्टी होना, अत्यधिक थकान का अनुभव करना, कमजोरी लगना, सिरदर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में खिंचाव एवं दर्द महसूस करना, शरीर के तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना, त्वचा का लाल हो जाना, परीने का न बहना, नाड़ी का तेज चलना, सांस लेने में दिक्कत, सामान्य व्यवहार में परिवर्तन, उल्टी सीधी बातें/व्यवहार करना, मतिभ्रम होना, झटके आना, बेहोश हो जाना।

बचाव एवं उपचार

- कम घजन व हल्के रंग के एवं ढीले कपड़े पहनायें।
- धूप में लाते वक्त सिर को किसी कपड़े अथवा छाते से छक दें।
- छांव वाली जगह पर रहें।
- शारीरिक गतिविधियों को कम कर दें।
- शरीर को गीले कपड़े से छक दें, पंखे/कूलर की हवा करें अथवा हवादार स्थान पर रखें।
- किसी तालाब आदि में नहला दें अथवा कुएं के पानी से नहला दें।
- शरीर में पानी की कमी न होने दें। सादा पानी, नीबू नमक का पानी अथवा इलेक्ट्रॉल युक्त पानी प्रचुर मात्रा में पिलायें।

कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाना है।

- जल्द से जल्द किसी चिकित्सक को दिखायें।
- यदि किसी बन्द गाड़ी से यात्रा की जा रही है जिसमें ए0सी0 न लगा हो तो यह आवश्यक है कि गाड़ी के शीशे खुले हों ताकि हवा का संचरण सुचारू रूप से हो सके। बन्द गाड़ी के अन्दर का तापमान बाहर के तापमान से 4-5 गुना ज्यादा हो जाता है तथा धातक सिद्ध होता है। ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है।

.....